



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION  
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / सं.अ.सं. / २६३ / 2024

दिनांक: 04 / 06 / 2024

प्रति,

संचालक

BCA एवं BBA के लिए सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएं।

विषय: BBA/BCA पाठ्यक्रमों के AICTE के नियमन के संबंध में।

संदर्भ:(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के अर्ध शासकीय पत्र क्र.D.O.No.2-  
79/2023(CCP-II) दिनांक 08 / 01 / 2024

(2) AICTE New Delhi Public Notice for Approval process 2024-25

महोदय / महोदया,

उक्त विषयांतर्गत पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि ऐसे समस्त संस्थाएं जो BBA या BCA पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उन्हें आगामी सत्र 2024-25 में उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु AICTE से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

AICTE द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि भी निर्धारित की जा चुकी है। AICTE से अनुमति / स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जानकारी [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org) पर प्राप्त की जा सकती है। सत्र 2024-25 में AICTE New Delhi से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संस्थाएं BBA या BCA पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

(डॉ. बबिता अग्रवाल)

✓ निदेशक

(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)